न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 20/2020

1. श्री दशरथ सिंह पुत्र सवाई सिंह
2. श्री महावीर सिंह पुत्र सवाई सिंह
3. श्री मोहनसिंह पुत्र सवाई सिंह
4. श्री शम्भूसिंह पुत्र सवाई सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर

....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,131 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :— श्री पुष्पेन्द्र सोनी श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिंह राठौड — अभिभाषक प्रार्थी

:— निर्णय :— दिनांक 28.10.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 , 131 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थी के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन के चौसाला खसरा सख्या 3299 व 3302 थे जिनके कि भूसंशोधन द्वारा वर्किंग खसरा संख्या 3646 , 3648 बने जिनके वर्तमान आधार खसरा संख्या 4331, 4335, 4336 बने है। प्रार्थी की आराजी के लगते हुए पूर्वी दिशा में एक रास्ता उत्तर से दक्षिण है जिसके कि चौसाला खसरा संख्या 3253 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा थे के भू संशोधन द्वारा वर्किंग खसरा संख्या 3575 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा बने जिनके वर्तमान आधार सख्या 4334, 4245, 4247, 4249 बने है। भू संशोधन द्वारा बनाए गये वर्तमान नक्शा ट्रेस में उपरोक्त प्रार्थीगण की आराजी के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर रास्ते को नक्शे में दर्शाया गया लेकिन उक्त रास्ते के बने वर्तमान खसरा संख्या 4334 रकबा 0.09 है. प्रार्थीगण की आराजी खसरा सख्या 4335 में लिख दिया गया और खसरा संख्या 4335 रकबा 10.79 है. के बीच बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के व बिना किसी विधिक आदेश के व बिना खातेदार की सुनवाई किये बगैर एक लाइन तरमीम कर उसे दो अलग अलग भाग में बांट दिया गया जिसका कि राजस्व कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था एंव प्रार्थीगण की आराजी का क्षेत्रफल राजस्व नक्शा ट्रेस में भौतिक माप व चौसाला नक्शा ट्रेस के अनुसार कम आ रहा है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। सरकार पेशेकार ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होता है प्रार्थी अपना पक्ष रेकार्ड से साबित करता है तो अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। मैनें पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **तहसीलदार पीसागंन को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन में वर्तमान नक्शा ट्रेस में खसरा सख्या 4334 रकबा 0.09 है. का अंकन रास्ते के पास किया जावे । उक्तानुसार वर्तमान नक्शा में [illegible] किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को [illegible] लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.12 17:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)